

### EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

### PUBLISHED BY AUTHORITY

सं.	38]	नई दिल्ली, जुक्रवार, जनवरी ८, २०१६/पोष १८, १९३७
No.	38]	NEW DELHI, FRIDAY, JANUARY 8, 2016/PAUSA 18, 1937

## गृह मंत्रालय

# अधिसृचना

नई दिल्ली, 7 जनवरी, 2016

का. आ. 44 (अ).—नई दिल्ली नगर पालिका परिपद अधिनियम. 1994 (1994 का 44). की धारा 4 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार. श्री दिलीप कुमार, संयुक्त सिचिव (संघ राज्य क्षेत्र), गृह मंत्रालय, भारत सरकार को नई दिल्ली नगर पालिका परिषद् (एनडीएममी) के सदस्य के रूप में नियुक्त करती है और इस प्रयोजन से, सरकारी राजपत्र में इस अधिमूचना के प्रकाशन की तारीख से गृह मंत्रालय, भारत सरकार की दिनांक 05 सितम्बर, 2014 की अधिसूचना संख्या का.आ. 2239 (अ.) में आगे निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :-

उक्त अधिसूचना में, पैरा । में, मद संख्या (ग)(i) के लिए और उससे संबंधित प्रविग्टियों को निम्नलिखित मद संख्या तथा प्रविग्टियों से प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात :-

''(i) श्री दिलीप कुमार संयुक्त सचिव (संघ राज्य क्षेत्र) गृह मंत्रालय भारत सरकार''

- [फा. सं. 14011/23/2014-दिल्ली-II]

एम. ए. गणपति, संयुक्त सचिव

नोट :- मूल अधिसृचना का.आ.सं. 2239(अ) दिनांक 05 सितम्बर, 2014 के तहत भारत के राजपत्र में प्रकाशित की गर्ड थी और उसके उपरांत का.आ. मं. 2827(अ) दिनांक 05 नवम्बर, 2014, का.आ. सं. 609(अ) दिनांक 24 फरवरी, 2015, का.आ. सं. 681(अ) दिनांक 05 मार्च. 2015 और का.आ. सं. 1848(अ) दिनांक 08 जुलाई, 2015 के तहत संशोधित की गई थी।

## MINISTRY OF HOME AFFAIRS

### NOTIFICATION

New Delhi, the 7th January, 2016

S. O. 44(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 4 of the New Delhi Municipal Council Act, 1994 (44 of 1994), the Central Government hereby nominates Shri Dilip Kumar, Joint Secretary (UT). Ministry of Home Affairs. Government of India as a member of the New Delhi Municipal Council (NDMC), and for that purpose, makes the following further amendment in the notification of the Government of India, in the Ministry of Home Affairs, number S.O. 2239(E), dated 5th September, 2014 with effect from the date of publication of this notification in the Official Gazette, namely:-

In the said notification, in paragraph 1, for Item No.( $\epsilon$ )(i) and the entry relating thereto, the following item number and entry shall be substituted namely:—

"(i) Shri Dilip Kumar Joint Secretary(UT) Ministry of Home Affairs Government of India

[F. No. 14011/23/2014-Delhi-II] M. A. GANAPATHY. Jt. Secy.

Note:— The principal notification was published in the Gazette of India vide number S.O.2239(E) dated 5th September, 2014 and subsequently amended vide S.O. 2827(E) dated 5th November, 2014, S.O. 609(E) dated 24th February, 2015, S.O. 681(E) dated 5th March, 2015 and S.O. 1848(E) dated 8th July, 2015.